

इलिनाय सायबर सिक्योरिटी कमीशन को जारी रखने के लिए कार्यकारी आदेश

जबकि, इलिनाय राज्य इस बात को मानता है कि राष्ट्र और राज्य की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (इन्फ़ॉर्मेशन टेक्नॉलजी) सबसे महत्वपूर्ण है; और,

जबकि, आवश्यक सेवाओं और दैनिक जीवन के लिए व्यवसायों, सरकारों, अकादमिक जगत और व्यक्तियों, सभी की सूचना प्रौद्योगिकी तंत्रों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है जिसमें सूचना तंत्र, नेटवर्क और अत्यंत महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा शामिल हैं; और,

जबकि, आम जनता और सार्वजनिक (सरकारी) तथा निजी क्षेत्र की यह अपेक्षा है कि इलिनाय राज्य के नागरिकों के लिए व्यक्तिगत, पेशेवर और वित्तीय जोखिम पैदा करने वाले और हमारे राज्य की सुरक्षा व अर्थव्यवस्था को खतरे में डालने वाले परिष्कृत सायबर-हमलों से पैदा होने वाले और लगातार बढ़ रहे खतरों से ये सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र सुरक्षित रहें और इनमें फिर उठ खड़े होने की क्षमता हो; और,

जबकि, इलिनाय के भीतर सूचना प्रौद्योगिकी तंत्रों को सुरक्षित बनाना किसी भी एक संस्था या इकाई की पहुँच से बाहर है, और इसके लिए एक ऐसी सहकार्यपूर्ण सार्वजनिक-निजी साझेदारी आवश्यक होती है जो एकजुट प्रयास को बढ़ावा देती हो;

जबकि, राज्य की सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था के संरक्षण हेतु, राज्य सरकार के लिए यह उपयुक्त और आवश्यक है कि वह इलिनाय की सायबरसुरक्षा को बढ़ाने हेतु एक संपूर्ण-राज्य पद्धति विकसित तथा अनुशंसित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, सेना, शोध और अकादमिक हितधारकों को संलग्न करते हुए एक सहयोगपूर्ण प्रयास स्थापित करे और उसका नेतृत्व करे;

जबकि, पूर्वगामी की मान्यता के तहत, 25 मार्च, 2022 को, मैंने इलिनाय साइबर सुरक्षा आयोग ("आयोग") की स्थापना के लिए कार्यकारी आदेश 2022-08 जारी किया था;

जबकि, कार्यकारी आदेश 2022-08 जारी होने और आयोग के लिए मतदान करने योग्य और गैर-मतदान योग्य सदस्यों की नियुक्ति के बाद से, आयोग 2022-08 के कार्यकारी आदेश के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बैठक कर रहा है और लगनपूर्वक काम कर रहा है, लेकिन ऐसे सदस्यों ने गवर्नर कार्यालय को सलाह दी कि उन्हें अपना कार्य पूरा करने और आयोग की रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है; और,

जबकि, इलिनाय में साइबरसुरक्षा से संबंधित असंख्य मुद्दों के महत्व को और एक सहयोगी सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से कई हितधारकों द्वारा इन मुद्दों पर गहन विचार किए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मुझे आयोग की रिपोर्ट को गवर्नर के सामने प्रस्तुत करने की समय सीमा को छह महीने आगे बढ़ाना उचित प्रतीत होता है;

अतः, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनाय का राज्यपाल (गवर्नर), इलिनाय राज्य के संविधान के अनुच्छेद V द्वारा मुझमें निहित कार्यकारी प्राधिकार के आधार पर, इसके द्वारा निम्नवत आदेश देता हूँ:

I. इलिनाय सायबरसुरक्षा आयोग (सायबरसिक्योरिटी कमीशन) का विस्तार

- A. इलिनाय साइबरसुरक्षा आयोग (सायबरसिक्योरिटी कमीशन) का कार्यकाल 30 जून, 2023 तक छः महीने के लिए बढ़ाया गया है। आयोग इस कार्यकारी आदेश की शर्तों के अनुसार अपना कार्य करेगा।
- B. कार्यकारी आदेश 2022-08 में उपलब्ध प्रावधान के अनुसार आयोग मतदान योग्य, गैर-मतदान योग्य सदस्यों और सलाहकार सदस्यों से गठित होगा, और पूर्व में नियुक्त मतदान

सदस्य और गैर-मतदान सदस्यों को इसके द्वारा राज्यपाल द्वारा फिर से नियुक्त किया जाता है।

- C. जैसा की कार्यकारी आदेश 2022-08 में बताया गया है, संबंधित फेडरल एजेंसी की अनुमति और अनुमोदन से, उक्त एजेंसी द्वारा चयनित गैर-मतदाता सदस्य भी आयोग में शामिल हो सकते हैं:
- संघीय अन्वेषण ब्यूरो (फ़ेडरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन) के शिकागो या स्प्रींगफ़ील्ड क्षेत्र कार्यालय (फ़ील्ड ऑफ़िस) से एक सायबरसुरक्षा विशेषज्ञ।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका गृह सुरक्षा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी) से दो निम्नवत सायबरसुरक्षा विशेषज्ञ:
 - सायबरसुरक्षा एवं अवसंरचना सुरक्षा अभिकरण (सायबरसिक्योरिटी एंड इन्फ़्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी) के क्षेत्र 5 कार्यालय से एक सायबरसुरक्षा सलाहकार; और
 - संयुक्त राज्य अमेरिका गुप्तचर सेवा (सीक्रेट सर्विस) के शिकागो क्षेत्र कार्यालय (फ़ील्ड ऑफ़िस) से एक सायबरसुरक्षा विशेषज्ञ।
- D. जैसा कि इलिनॉय राज्य पुलिस के निदेशक द्वारा नामित किया गया है, आयोग में राज्यव्यापी आतंकवाद और खुफिया केंद्र (STIC) के एक प्रतिनिधि को सलाहकार सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। आयोग सार्वजनिक (सरकारी) और निजी क्षेत्र, दोनों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सलाहकार सदस्यों को भी नियुक्त कर सकता है। ऐसे अन्य सलाहकार सदस्यों का चयन और अनुमोदन आयोग के मतदाता सदस्यों के बहुमत द्वारा होगा। सलाहकार सदस्यों का प्रयोजन विषय-वस्तु विशेषज्ञता और विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि प्रदान करके आयोग को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना है।
- E. राज्यपाल (गवर्नर) के गृह सुरक्षा सलाहकार (होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइज़र) या पदनामिती, आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं जारी रखेंगे।
- F. निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोग कार्यान्वयन योजना को विकसित और अनुशंसित करने के कार्य को जारी रखेगा:
- निजी क्षेत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा इकाइयों के लिए सायबर जागरूकता का निर्माण और उसमें वर्धन करना, इसमें हितधारकों को सायबरसुरक्षा हमलों की रोकथाम करने और व्यक्तिगत जानकारी का संरक्षण करने के तरीकों पर शिक्षित करना; और तकनीकी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए सायबर सुरक्षा प्रशिक्षणों का संचालन करना, उन्हें सहायता देना और उनमें भाग लेना शामिल है;
 - मूल्यवान सूचनाओं, संसाधनों और सेवाओं के संरक्षण हेतु आवश्यक परिपाटियाँ, प्रक्रियाएँ और समग्र नियोजन का विकास करना, इसमें अग्रलिखित के द्वारा ऐसा करना शामिल है: प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए सायबर-हमलों की पहचान करना और उन्हें बाधित करना; राज्यव्यापी सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया क्षमताओं को बेहतर बनाना और उनका विस्तार करना; और जनता की सेवा करने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्रों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा साझेदारों के लिए पार-क्षेत्रीय और सामुदायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और उसे सुगम बनाना;
 - निजी क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा संगठनों को सायबरसुरक्षा को बेहतर बनाने के जोखिम-आधारित निर्णय लेने में सहायता देने के लिए सर्वोत्तम परिपाटियों के उपयोग के माध्यम से सायबर सक्षमताओं को परिपक्व बनाना, जिसमें अग्रलिखित के

द्वारा ऐसा करना शामिल है: सायबरसुरक्षा के प्रति जोखिम-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना; क्षेत्रीय अत्यंत महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा सायबर प्रतिक्रिया दलों का गठन करना; और सायबर परिपक्वता को आगे बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम परिपाटियों व साधनों का विकास और प्रसार करना; और

d. डिजिटल बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा और उसकी फिर उठ खड़े होने की क्षमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सतत शिक्षण और सूचना साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारियाँ बनाना और उन्हें विस्तार देना, जिसमें अग्रलिखित के द्वारा ऐसा करना शामिल है: अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्रों की फिर उठ खड़े होने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों के साथ साझेदारियाँ गढ़ना और उन साझेदारियों को पोषित करना; और राज्य को प्रभावित कर रहे खतरों व दुर्बलताओं की पहचान करना, उनका मूल्यांकन करना और उनके बारे में सूचनाएँ साझा करना।

G. आयोग एक अधिकारपत्र अंगीकार कर सकता है जो इस सरकारी आदेश और लागू कानून के उपबंधों से संगत होगा, और जिसमें यह वर्णन होगा कि आयोग स्वयं का संचालन कैसे करेगा और इस सरकारी आदेश में प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन कैसे करेगा। अधिकारपत्र में आयोग की बैठकों, समितियों व कार्य समूहों के गठन जैसे मामलों और आयोग द्वारा उपयुक्त माने गए अन्य मामलों को संबोधित किया जा सकता है।

H. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी) आयोग को प्रशासनिक सहयोग प्रदान करता रहेगा और उसके रिकॉर्ड को भी मेंटें करता रहेगा।

II. राज्यपाल को प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

आयोग के अध्यक्ष 30 जून, 2023 तक गवर्नर के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। प्रतिवेदन में आयोग की गतिविधियों, उपलब्धियों और अनुशंसाओं/संस्तुतियों का विस्तृत वर्णन होगा। रिपोर्ट जमा हो जाने के बाद, आयोग भंग हो जाएगा।

III. नैतिक एवं अन्य आवश्यकताएँ

आयोग लागू कानून के उपबंधों के अधीन होगा, जिनमें बिना किसी सीमा बंधन के इलिनॉय मुक्त बैठक अधिनियम (ओपन मीटिंग्स एक्ट), 5 ILCS 120/, और इलिनॉय सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम (फ्रीडम ऑफ़ इन्फ़ॉर्मेशन एक्ट), 5 ILCS 140/ शामिल होंगे। आयोग के सदस्य लागू कानून के उपबंधों के अधीन होंगे, जिनमें बिना किसी सीमाबंधन के इलिनॉय राज्य अधिकारी एवं कर्मचारी नैतिकता अधिनियम (स्टेट ऑफ़िशियल्स एंड एम्प्लॉयीज़ एथिक्स एक्ट), 5 ILCS 430/ शामिल है।

IV. बचत खंड (सेविंग्स क्लॉज़)

इस कार्यकारी आदेश में मौजूद किसी भी बात का अर्थ किसी भी संघीय या राज्य कानून या विनियम के उल्लंघन के रूप में नहीं निकाला जाएगा। इस कार्यकारी आदेश में मौजूद कोई भी बात किसी भी राज्य एजेंसी की मौजूदा सांविधिक शक्तियों को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करेगी और उसका अर्थ किसी भी राज्य एजेंसी को नए सिरे से आदेशित करने या उसके पुनर्गठन के रूप में नहीं निकाला जाएगा।

V. इस कार्यकारी आदेश में मौजूद किसी भी बात का अर्थ किसी भी संघीय या राज्य कानून या विनियम के उल्लंघन के रूप में नहीं निकाला जाएगा।

यह कार्यकारी आदेश किसी अन्य पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी विपरीत प्रावधान को अधिक्रमित करता है, जिसमें 2022-08 कार्यकारी आदेश भी शामिल है, परन्तु उसतक ही सीमित नहीं है।

VI. पृथक्करणीयता खंड

यदि इस कार्यकारी आदेश का कोई भी अंश किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा अमान्य पाया जाता है तो शेष उपबंध पूर्णतः लागू एवं प्रभावी रहेंगे। इस कार्यकारी आदेश के उपबंध विच्छेदनीय हैं।

VII. प्रभावी होने की तारीख

यह सरकारी आदेश राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास इसे दायर किए जाने पर प्रभावी हो जाएगा।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker),

राज्यपाल

गवर्नर द्वारा 20 दिसम्बर, 2022 को निर्गत

20 दिसम्बर, 2022 को राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास दर्ज किया गया